बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

आदेश

आ0सं0 415171 ।

पटना, दिनांक 05/03/2019

श्री राजेन्द्र प्रसाद एवं अन्य 02 जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका संख्या 5015/2014 दायर किया गया । इस वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20.07.2018 को आदेश पारित किया गया । पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्न प्रकार है:–

**"Since claim of the petitioner is covered by the said order, it is prayed on behalf of the petitioners that the petitioners may be granted liberty to file a comprehensive representation before respondent no.2, the Principal Secretary, Department of Rural Development, Government of Bihar, Patna for consideration of their claim in light of the decision in C.W.J.C. No-10653/2008**

**Petitioners are at liberty to do so. If a comprehensive representation is filed by the petitioners within four weeks from today, respondent no. 2 shall consider the same and dispose of by a reasoned and speaking order within a period of three months thereafter.**

**The writ petition is disposed of on the aforesaid observations."**

संचिका में उपलब्ध कागजात के अवलोकन से प्रतीत होता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश के आलोक में तीन याचिकाकर्ताओं में से दो (श्री राजेन्द्र प्रसाद एवं नजीब अहमद) द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया है ।

इस रिट याचिका (सी0डब्लू0जे0सी0 सं0– 5015/2014) में शामिल सभी तीन याचिकाकर्ताओं के संबंध में संबंधित जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों से सूचनाओं की मांग की गई । जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों से प्राप्त सूचना के अनुसार याचिकाकर्ताओं से संबंधित विवरण निम्न प्रकार है:–

| रिट याचिका संख्या /रिट याचिका दायर करने की तिथि | क0 सं0 | याचिकाकर्ता का नाम | संबंधित डी0आर0डी0 का नाम | जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार जन्म तिथि | जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार सेवा निवृति की तिथि | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5015/2014<br>18.02.2014 | 1 | श्री राजेन्द्र प्रसाद | सासाराम | 02.01.1957 | 31.01.2017 | याचिका दायर करने की तिथि को सेवा में । |
| | 2 | श्री पाण्डेय मुक्ति नाथ | सासाराम | 08.02.1950 | 28.02.2010 | याचिका दायर करने की तिथि को सेवानिवृत । |
| | 3 | श्री नजीब अहमद | कैमूर | 01.02.1953 | 31.01.2013 | याचिका दायर करने की तिथि को सेवानिवृत । |

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कम संख्या 2 एवं 3 पर अंकित याचिकाकर्ता माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की तिथि दिनांक 18.02.2014 को सेवानिवृत थे अर्थात इनके द्वारा सेवानिवृति के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर किया गया ।

पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि यदि याचिकाकर्ता का दावा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 10653/2008 के याचिकाकर्ता श्री अनिरूद्ध झा के समरूप है, तो याचिकाकर्ताओं को भी श्री अनिरूद्ध झा के अनुरूप लाभ दिया जाना है । श्री अनिरूद्ध झा द्वारा दायर सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 10653/2008 वर्ष 2008 में दायर किया गया था । परन्तु उनकी सेवा निवृति वर्ष 2010 में हुई थी । परिणाम स्वरूप माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 10653/2008 में दिनांक 27.04.2015 को पारित न्यायादेश के आलोक में रिट याचिका दायर करने की तिथि से श्री झा की सेवा समायोजन हेतु विभागीय संकल्प 391415 दिनांक 28.09.2018 निर्गत किया गया ।

वित्त विभाग द्वारा भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 16072/2011 एवं एल0पी0एल0 संख्या 1198/2013 में पारित आदेश के आलोक में बोर्ड/निगम/सोसाईटी के कर्मियों के सेवा समायोजन के संबंध में संकल्प संख्या 796 दिनांक 02.02.2018 निर्गत किया गया है । इस संकल्प में स्पष्ट रूप से अंकित है कि आदेश निर्गत की तिथि से बोर्ड/निगम/सोसाईटी के कर्मियों का सरकारी सेवा में समायोजन किया जाएगा ।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 5015/2014 में दिनांक 20.07.2018 को पारित आदेश के आलोक में श्री पाण्डेय मुक्ति नाथ एवं श्री नजीब अहमद, जो रिट याचिका दायर करने की तिथि को सेवा निवृत थे, का सरकारी सेवा में समायोजन संबंधी दावा श्री अनिरूद्ध झा के समरूप नहीं होने के कारण अस्वीकृत किया जाता है । अन्य कर्मियों के संबंध में सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी ।

सभी संबंधितों को सूचित करें ।

5/3/2019

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 415171 पटना, दिनांक 05/03/2019

ग्रा0वि06अमि0 03–21/2018

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/ सभी उप विकास आयुक्त, बिहार/ उपर वर्णित याचिका से संबंधित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्मी/विभागीय सभी पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

5/3/2019

सरकार के सचिव